<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना रक्सा, जनपद झाँसी</u>

<u>दिनांक: 30.07.2026</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना रक्सा पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट एवं अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.07.2026 को थाना रक्सा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 182/2025, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं 5J(ii)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित नामजद/वांछित अभियुक्त नीलू उर्फ नीलेस पुत्र महाराज सिंह, निवासी ग्राम बदनपुर, थाना रक्सा, जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>

वादी द्वारा थाना रक्सा पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को ग्राम बदनपुर निवासी **नीलू उर्फ नीलेस** बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रक्सा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान दिनांक **10.04.2026** को थाना रक्सा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर **डेली पुल** के पास से पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में **धारा 87, 65(1) बीएनएस एवं 5J(ii)/6 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना के क्रम में नामजद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी, जिसे दिनांक **30.07.2026** को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

- **नीलू उर्फ नीलेस** पुत्र महाराज सिंह, निवासी ग्राम बदनपुर, थाना रक्सा, जनपद झाँसी।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 **विशाल राजपूत**
2. म0का0 **शिवानी**
3. रिक्रूट आरक्षी **अजीत कुमार**